न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

कमलकिशोर बनाम चारूमल

मुकदमा संख्या / वर्ष : 334 / 20..

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		हेतु दिनांक 19/03/24 को पेश हो (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित [illegible] पत्रावली आर्डर में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस को श्रवण किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस को श्रवण करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधि0 के स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
/2019	08/11/2019	19/03/2024

ालकिशोर अग्रवाल पुत्र श्री देवीलाल सामोदिया, जाति महाजन निवासी 88, नीलकण्ठ ॉलोनी, पुरानी चुंगी, एसबीआई रोड, जयपुर, शहर जयपुर।

वादी

बनाम

ाणमल पुत्र स्व0 श्री भौरया
ुनिलाल पुत्र स्व0 श्री भौरया
ोखी देवी पुत्री स्व0 श्री भौरया
ी देवी पुत्री स्व0 श्री भौरया
जर देवी पुत्री स्व0 श्री भौरया
श्री मंगला, जाति रैगर निवासी ग्राम दूल्हारावजी, तहसील जमवारामगढ, हाल निवासी टर नम्बर–2, सिविल लाईन, भानपुर रोड, प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ, राजस्थान।
ास्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
संदीप शर्मा :– वकील वादी।
महेश शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन ा कि ग्राम धुलारावजी, पटवार क्षेत्र धूलारावजी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बूज, तहसील वारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 377/103 रकबा 10 बीघा वादी स्वतंत्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादी ने उक्त भूमि को जरिए पंजीकृत विक्रय दिनांक 19.03.2014 को क्रय किया है और विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या दिनांक 22.08.2014 के द्वारा वादी का नाम समस्त राजस्व भू अभिलेखों में बहैसियत ोदार अंकित किया जा चुका है, वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि के पूर्वी ओर एक 400 ़ गहरे बोरिंग का निर्माण करवा कर उस पर विद्युत संबध स्थापित किये जाने हेतु ामानुसार आवेदन प्रस्तुत कर रखा है तथा साधिकार अपनी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित । पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा क्रय की गई भूमि साबिका ारा नम्बर 377/103 रकबा 10 बीघा का तहसील जमवारामगढ के सम्पन्न हुए भू प्रबंधन के ान नवीन खसरा नम्बर 99 बनाया जाकर भूमि का क्षेत्रफल मैट्रिक प्रणाली मे परिवर्तन करते 2.53 हैक्टेयर कायम कर उसकी खातेदारी वादी के नाम अंकित की जा चुकी है। वादी की ोदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 2.53है0 के दक्षिणी ओर मौजूद बेका खसरा नम्बर 103/417 रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 105 रकबा 1.01 प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 की गैर खातेदारी में अंकित भूमि है जिस पर उनका वास्तविक भौतिक कब्जा भी नही है। वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में वादी की भूमि को हरे से तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की भूमि को लाल रग से दर्शाया गया है जो वाद पत्र अभिन्न अंग है। वादी द्वारा वर्ष 2014 में उपरेक्त वर्णित भूमि को क्रय करने के पश्चात ानी क्रयशुदा भूमि के चारो ओर पुख्ता बाउन्ड्रीवाल बनवाने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय समक्ष दिनांक 27.3.2015 को आवेदन बाबत सीमाज्ञान एव पत्थरगढी प्रस्तुत किया जिसे

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(42)

माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर दिनांक 8.6.2015 को प्रतिवादी संख्या 6 को निर्देश दिया कि वे वादी की खातेदारी में अंकित भूमि का दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में यदि कोई स्थगन आदेश या विवाद नहीं हो तो चारों ओर दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका रिपोर्ट पेश करे। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 15.12.2015 को पुराने एवं नवीन नक्शे के साथ आई0एल0आर0 एवं पटवारी हलका ने मौके पर वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 99 की चारों सीमाओं का सीमाज्ञान कर पास के खेत खसरा नम्बर 93 से क्रॉस चेक कर चारों ओर की सीमाओं पर पत्थरगढी कर दी जिसके अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि की चारों सीमाओं को वायर फैन्सिग कर अपनी भूमि की चारों सीमाओं को महदूद कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का वादी की भूमि से कोई हक, संबंध एवं सरोकार नही है, किन्तु फिर भी वह जबरन वादी की खातेदारी मे हस्तक्षेप कर वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 99 के दक्षिणी ओर मौजूद वायरफैंसिंग को हटाने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपने नाम अंकित गैर खातेदारी की भूमि को खातेदारी में परिवर्तित करवाना चाह रहे है इस हेतु उन्होंने अपने नाम अंकित भूमि की लेवलिंग का कार्य प्रारम्भ किया है और बुआई–जुताई की आड में वह वादी की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर वादी को उसकी खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा हो रहे है, जबकि वादी की खातेदारी में अंकित भूमि खसरा नम्बर 99 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कोई संबंध एवं सरोकार नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम धूलारावजी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 2.53 है0 की दक्षिणी सीमा को तोडकर अपनी सुविधानुसार भूमि को सीधा कर वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर अपनी गैर खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 105 मे शामिल करने हेतु कब्जा कर किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा वादी के शान्तीपूर्ण कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट एवं मजदूरों से करवाये।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3,4,5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 3,4,5 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार प्रतिवादी किया गया। लेकिन प्रतिवादी 3,4,5 उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादी स0 3,4,5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ दिनांक 15.01.21 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री महेश शर्मा उपस्थित तथा वकालतनामा पेश किया। लेकिन वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक 15.03.24 तक जवाब पेश नही किया। अतः वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावें में अंकित बिन्दूओं को ताईद करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगणों को पाबन्दी करने के आदेश फरमावें।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि ग्राम धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 2.53 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करें। तारबन्दी नही करें। उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे तथा ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, मजदूर आदि से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 19/03/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई
(आ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0

कमलकिशोर बनाम चारणमल वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 334 / 2019 निर्णय दिनांक 19.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री संदीप शर्मा वकील वादी एवं श्री महेश शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 2.53 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करें। तारबन्दी नही करे। उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वय करे तथा ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, मजदूर आदि से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हो।

डिक्री आज दिनांक 19 / 03 / 2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
जमवारामगढ़, जयपुर